

फार्म नं0 111

फर्द अहकाम


(नियम 26)

अज अदालत भू अभिलेख अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी), आबूरोड

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरपंच, ग्राम पंचायत, खडात		राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, आबूरोड

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 4 वर्ष 2024


तारीख	हुक्म या कार्यवाही का विवरण मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
25/1/2024	<p>यहकि राजस्व प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा दौराने जनसुनवाई अप्रार्थी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पेश कर मौजा खडात खसरा नंबर 146/1 रकबा 2.4278 हैक्टर जोकि ग्राम पंचायत की भूमि है जिसे श्रीमान उप खण्ड अधिकारी महो0 आबूपर्वत द्वारा ग्राम पंचायत तरतोली के नाम से आवंटित की गई थी। जबकि ग्राम पंचायत तरतोली नहीं रही। वर्तमान मे इस खाते मे खातेदार का नाम ग्राम पंचायत तरतोली होने से इस भूमि का ग्राम पंचायत खडात के खेल मैदान हेतु पट्टा जारी नहीं हो पा रहा है। इसलिये इस खसरे का खातेदार ग्राम पंचायत तरतोली के स्थान पर ग्राम पंचायत खडात करवाने का कथन किया है।</p> <p>तहसीदार आबूरोड ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर मौजा खडात खाता संख्या 175 खसरा नंबर 146/1 रकबा 2.4278 हैक्टर जोकि ग्राम पंचायत तरतोली के नाम दर्ज है परन्तु उक्त भूमि राजस्व ग्राम खडात मे स्थित होने का कथन करते हुये राजस्व रेकर्ड मे ग्राम पंचायत तरतोली के स्थान पर ग्राम पंचायत खडात करवाने की अनुशंसा की है। जिसे स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड मे संशोधन के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार आबूरोड को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	


सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

क्रमांक:कोर्ट/ 1516

दिनांक:- 23/01/24

तहसीलदार, आबूरोड को पालनार्थ प्रेषित है।


सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)